रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04062026-273130
CG-DL-E-04062026-273130

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 387]	नई दिल्ली, सोमवार, जून 1, 2026/ज्येष्ठ 11, 1948
No. 387]	NEW DELHI, MONDAY, JUNE 1, 2026/JYAISHTHA 11, 1948

जल शक्ति मंत्रालय

(पेयजल एवं स्वच्छता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2026

सा.का.नि. 429(अ)— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में लेखा अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, लेखा अधिकारी, समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर –** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में उसका स्तर या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं, आदि –** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता –** वह व्यक्ति, –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छुट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नही डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	**पदों की संख्या।**	**वर्गीकरण।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर।**	**चयन अथवा अचयन पद।**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
लेखा अधिकारी।	1* (2026) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर 7 (44900 - 142400 रु.)।	चयन पद।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(6)
लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(7)
लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा 'जिसमे अल्प-कालिक संविदा सम्मलित है'|

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रोन्नति: वेतन स्तर-6 (35400 रुपये - 112400 रुपये) में ऐसे लेखाकार जिन्होंने मूल कैडर या विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा पूरी की हो और विभाग द्वारा यथा निर्धारित दो से चार सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण - जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है,प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब की उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमे से जो भी कम हो,कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है,अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो| **प्रतिनियुक्ति(जिसमे अल्प-कालिक संविदा सम्मलित है):** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वशासी या वैधानिक संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधीन ऐसे अधिकारी: - (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर समान पद धारण किए हुए है; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400 रुपये) या समतुल्य पद में नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित अर्हता में से कोई एक रखता हो :- (i) केंद्रीय सरकार के किसी भी संगठित लेखा विभाग द्वारा संचालित अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की हो; (ii) सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान या किसी मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित रोकड़ और लेखा कार्य में प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो और रोकड़, लेखा एवं बजट कार्य में न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव रखता हो| टिप्पण-1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण-2 : प्रतिनियुक्ति जिसमे अल्प कालिक संविदा सम्मलित है की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति जिसमे अल्प कालिक संविदा सम्मिलित है,की अवधि साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नही होगी| टिप्पण-3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नही होगी|

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।
(12)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: - 1. संयुक्त सचिव (स्थापना) – अध्यक्ष; 2. निदेशक या उप सचिव (संबंधित प्रभाग) – सदस्य; 3. निदेशक या उप सचिव (एकीकृत वित्त प्रभाग) – सदस्य; और 4. निदेशक या उप सचिव (स्थापना) – सदस्य।

भर्ती करने में किन परिस्थियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(13)
संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-12011/1/2022-स्थापना-डीडीडब्ल्यूएस]

कमल किशोर सोन,अपर सचिव

MINISTRY OF JAL SHAKTI

(Department of Drinking Water and Sanitation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2026

G.S.R. 429(E)– In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Accounts Officer in the Ministry of Jal Shakti, Department of Drinking Water and Sanitation, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Ministry of Jal Shakti, Department of Drinking Water and Sanitation, Accounts Officer, Group 'B' Post, Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. - The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc. – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex-servicemen, the other

backward classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Accounts Officer.	1* (2026) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.	Level 7 (Rs. 44900-142400).	Selection post.

Age-limit for direct recruits.
(6)
Not Applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.
(7)
Not Applicable.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By Promotion failing which by deputation including short-term contract.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.
(11)
Promotion: Accountant in pay level-6 (Rs. 35400 – 112400) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the parent cadre or department and having successfully completed two to four weeks mandatory training as prescribed by the department. **Note. -** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (Including Short-Term Contract):** Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or Autonomous or Statutory organisation or public sector undertakings or university or recognised research institution: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-6 (Rs. 35400 – 112400) of the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) Possessing any one of the following qualifications: -

(i) Pass in the Subordinate Accounts Service conducted by any of the organised accounts Department of the Central Government.

(ii) Successful completion of training in the cash and accounts work conducted by the Institute of Secretariat Training and Management or recognised training institute and a minimum of three years experience in cash, accounts and budget work.

Note 1.- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2.- The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

Note 3.- The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of application.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.
(12)
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: - (1) Joint Secretary (Establishment) – Chairman; (2) Director or Deputy Secretary (Concerned Division) – Member; (3) Director or Deputy Secretary (Integrated Finance Division) – Member; and (4) Director or Deputy Secretary (Establishment) – Member.

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(13)
Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F.No. A-12011/1/2022-Admin-DDWS]

KAMAL KISHORE SOAN, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA